न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 85/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

इलाहाबाद बैंक, शाखा तापड़िया बगीची, सीकर।

प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. राजू घोसी पुत्र हामिद घोसी, ऋणी
   निवासीः– नायको का मोहल्ला, नागेश्वरी बगीची के पास, तहसील व जिला सीकर।

2. जन्नत पत्नी राजू घोसी सहऋणी
   निवासीः– नायको का मोहल्ला, नागेश्वरी बगीची के पास, तहसील व जिला सीकर।

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 24 जनवरी, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **एन. आर. बुरानियां** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **राजू घोसी, जन्नत** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **नायको का मोहल्ला, नागेश्वरी बगीची के पास, सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.) में अवस्थित भूखण्ड जिसका पट्टा संख्या 176 रकबा 67.03 वर्गगज उसमें बने पक्का निर्माण सहित जिसके पूर्व में कानजी नायक, पश्चिम में भंवर लाल शर्मा, उत्तर में भंवर लाल शर्मा, दक्षिण में सड़क है,** को बंधक रखकर **11,50,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **ग्यारह लाख पच्चास हजार**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **14.09.2018** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 14.9.2018 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

4. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **राजू घोसी, जन्नत** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **नायको का मोहल्ला, नागेश्वरी बगीची के पास, सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.) में अवस्थित भूखण्ड जिसका पट्टा संख्या 176 रकबा 67.03 वर्गगज उसमें बने पक्का निर्माण सहित जिसके पूर्व में कानजी नायक, पश्चिम में भंवर लाल शर्मा, उत्तर में भंवर लाल शर्मा, दक्षिण में सड़क है,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

5. आदेश आज दिनांकः 24 **जनवरी, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner